



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 3, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री हेमचन्द्र यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़, का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010) पटल पर रखेंगे.
- (2) श्री हेमचन्द्र यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री अजीत जोगी, सदस्य, प्रदेश की नदियों का पानी उद्योगपतियों को बेचे जाने से किसानों को पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, बलौदाबाजार शिक्षा जिला अन्तर्गत गुड़गहन विद्यालय में एक शिक्षक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री चैतराम साहू, सदस्य, भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिकुलिया में नवीन प्राथमिक शाला खोलने,
- (2) श्री अजीत जोगी, सदस्य, मरवाही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम अंधियारखोह में हाईस्कूल खोलने,
 - (ii) ग्राम पिपरिया में हाईस्कूल खोलने तथा
 - (iii) मटियाडांड-अमेरा टिकरा मार्ग में सोन नदी पर पुल निर्माण करने के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

रायपुर

दिनांक 21 फरवरी, 2011

देवेन्द्र वर्मा

सचिव.



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 3, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री हेमचन्द्र यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़, का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010) पटल पर रखेंगे.
- (2) श्री हेमचन्द्र यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री अजीत जोगी, सदस्य, प्रदेश की नदियों का पानी उद्योगपतियों को बेचे जाने से किसानों को पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, बलौदाबाजार शिक्षा जिला अन्तर्गत गुड़गहन विद्यालय में एक शिक्षक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री चैतराम साहू, सदस्य, भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिकुलिया में नवीन प्राथमिक शाला खोलने,
- (2) श्री अजीत जोगी, सदस्य, मरवाही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम अंधियारखोह में हाईस्कूल खोलने,
 - (ii) ग्राम पिपरिया में हाईस्कूल खोलने तथा
 - (iii) मटियाडांड-अमेरा टिकरा मार्ग में सोन नदी पर पुल निर्माण करने के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

रायपुर

दिनांक 21 फरवरी, 2011

देवेन्द्र वर्मा

सचिव.